विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 16 सितंबर, 2010 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 42वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की बयालीसवीं (42वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 16 सितंबर, 2010 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 577 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 363 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड में 1,66,526 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 5,50,323 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, एसईजेड से कुल 2,20,711 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही में निर्यात 58,685.46 करोड़ रुपए के आसपास है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में निर्यात की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 42.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. सुलीकेरी गांव, कैंगारी होबली, बंगलौर दक्षिण तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 13.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स पूर्णिमादेवी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सुलीकेरी गांव, कैंगारी होबली, बंगलौर दक्षिण तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 13.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स पूर्णिमादेवी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. चिल्लमटुरू एवं गोरंटला मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 11.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चिल्लमटुरू एवं गोरंटला मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 11.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. चिल्लमटुरू एवं गोरंटला मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 115.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरोस्पेस एवं प्रीसीजन इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक iii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चिल्लमटुरू एवं गोरंटला मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 115.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरोस्पेस एवं प्रीसीजन इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. चिल्लमटुरू मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक iv) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चिल्लमटुरू एवं गोरंटला मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्राम कूरगल्ली, इटवाला होबली, मैसूर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में 11.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल मेंआईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोपालन ई-पार्क का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक v) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कूरगल्ली, इटवाला होबली, मैसूर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में 11.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल मेंआईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोपालन ई-पार्क के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. मौजा - तुलसीदेईपुर, चांडाका, भुवनेश्वर, उड़ीसा में 10.526 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सूर्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक vi) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मौजा - तुलसीदेईपुर, चांडाका, भुवनेश्वर, उड़ीसा में 10.526 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र

स्थापित करने के लिए मैसर्स सूर्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. ग्राम सरजापुर एवं बिल्लापुर, अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 24.446 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक vii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सरजापुर एवं बिल्लापुर, अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 24.446 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. बोयापलेम, नरुवा एवं चिट्टीवालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में 131.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केमिकल और फर्मास्युटिकल (बल्क / एपीआई / फर्मुलेशन) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विविमेड लैब्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक viii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है और यह भी कि भूमि पर विकासक का आंशिक रूप से कब्जा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बोयापलेम, नरुवा एवं चिट्टीवालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में 131.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केमिकल और फर्मास्युटिकल (बल्क / एपीआई / फर्मुलेशन) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विविमेड लैब्स लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 42.2 : एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति

अनुमोदन बोर्ड ने रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा राजस्व विभाग उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मद को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 42.3 : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सन्निकटता स्थापित करने पर दिशानिर्देश

बैठक में राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई। बहु उत्पाद एसईजेड के आकार तथा उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों पर ध्यान से विचार करना

आवश्यक है। इसलिए निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

मद संख्या 42.4 : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का रिफंड

बताया गया कि उठाया गया मुद्दा मुख्य रूप से प्रक्रिया से संबंधित है तथा राजस्व विभाग को चाहिए कि निर्धारित की गई प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करें। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया तथा इस बात पर सहमति हुई कि राजस्व विभाग अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व अपने विचार प्रस्तुत करेगा।

मद संख्या 42.5 : एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 41 में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर चर्चा की तथा नोट किया गया कि यह मुद्दा पीआईपीवीएवी शिपयार्ड से संबंधित है और उनके लिए विशिष्ट है तथा यह कोई आम मुद्दा नहीं है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि चूंकि यह विशिष्ट मुद्दा है, इसलिए नियमावली में संशोधन करने की बजाय अकेले रूप में प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि राजस्व विभाग के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

मद संख्या 42.6 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआरओ अवसंरचना के विकास, निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) पानोली, अंकलेश्वर के पास, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने गैस वितरण एवं पारेषण नेटवर्क की स्थापना के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि यह प्रस्ताव पूर्ण विकसित इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए है जो यात्रियों के अलावा कार्गो हैंडल करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंद्रा एसईजेड में कस्टम स्टाफ की संख्या बहुत कम है, वे एयरपोर्ट को संभालने में समर्थ नहीं होंगे। इसके अलावा, एयरपोर्ट डीटीए एवं एसईजेड कार्गो को हैंडल करेगा और यदि यह प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, तो कार्गो को संभालना राजस्व प्राधिकारियों के लिए मुश्लिक होगा। विचार-विमर्श के बाद, निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग अपने विचारों को स्पष्ट करे तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करे। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने लगभग 136 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं अर्थात एलएनजी टर्मिनल, भंडारण एवं पुन: गैसीकरण की सुविधाओं, गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र (क्षमता 2000 मेगावाट तक) तथा संबद्ध सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा एलएनजी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएएसईजेड) में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्ल्ड्स विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिसिटक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 एकड़ के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) की स्थापना के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्ल्ड्स विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिसिटक्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) **मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

नोट किया गया कि अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है तथा सह विकासक के अनुरोध में काफी विलंब हुआ है। चूंकि राजस्व विभाग को इस प्रस्ताव को लेकर आपत्तियां हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वे भी उठाने वाले कदम का सुझाव दें। विचार विमर्श के बाद, निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग अपने विचारों को स्पष्ट करे तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करे। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 42.7 : मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विमानन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	एप्रन का निर्माण	1	85280 वर्गमीटर (लंबाई 533 मीटर और 160 मीटर)

मद संख्या 42.8 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 13 (तेरह) विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) खरादपाडा, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एवं दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड (ओआईडीसी) का अनुरोध

(ii) टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चमड़ा एवं चर्म उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) कापरडा, जोधपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

(iv) पुटलमपल्ली गांव, कडपा मंडल, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(v) मडिकोंडस गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(vi) अनंतसागर गांव, हासनपार्ती मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वीआर एंटरप्राइजेज का अनुरोध

(vii) नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

(viii) जम्बूसर, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 सितंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(ix) गोपनपल्ली और वट्टिनगुलपल्ली गांव, सेरिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

(x) गंगैकोंडन गांव, तिरूनलवेली तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

(xi) नंगुनेरी तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध

(xii) नंगुनेरी तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) नंबर 51, शोलिंगानल्लूर गांव, पुराना महाबलिपुरम रोड, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हासिंडा का अनुरोध

मद संख्या 42.9 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 9 (नौ) मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) ग्राम ओवाले, चोडबंडर रोड, जिला थाणे, महाराष्ट में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

(ii) टाडिपुडी गांव, कोव्वूर के पास, टल्लापुडी मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में लेखन एवं मुद्रण पेपर मिल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ह्वाइटफील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का अनुरोध

(iii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स संघी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) कुन्नातुनडाउ गांव, तालुक मोरकाला देशम, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(v) हासन, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम (केआईएडीबी) का अनुरोध

(vi) कंकसा, पानगढ़ बाजार, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (पूर्व में आईटी / आईटीईएस) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज III, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचना सेवा (केबीआईटीएस) का अनुरोध

(viii) बादशाहपुर गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(ix) एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 42.10 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पचमा (अब्दुल्लापुर), जिला सिहोर, मध्य प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रिलाएबल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात 9 सितंबर, 2010 के बाद एक साल की अवधि के लिए दूसरी बार अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 42.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने करनाल और अंबाला जिला के बीच, हरियाणा में कृषि आधारित उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अमीरा फूड्स

(इंडिया) लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात 25 जुलाई, 2010 के बाद एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 42.12 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) हिंजेवाड़ी गांव, मुल्शी तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने हिंजेवाड़ी गांव, मुल्शी तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में 10.56.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

(ii) रहेजा इनफोसिटी 1, प्लाट नंबर 2/1/बी, ब्लाक-डी, ट्रांस - थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रहेजा युनिवर्सल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने रहेजा इनफोसिटी 1, प्लाट नंबर 2/1/बी, ब्लाक-डी, ट्रांस - थाणे, महाराष्ट्र में 10.524.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रहेजा युनिवर्सल लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 42.13 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 10.975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 10.975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने

का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(ii) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा चेन्नई में आईटी, हार्डवेयर और बायो इनफार्मेटिक्स के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजार्ट्स इंडिया लिमिटेड को प्रदान की गई मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजार्ट्स इंडिया लिमिटेड जो चेन्नई में आईटी, हार्डवेयर और बायो इनफार्मेटिक्स के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सह विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(iii) शेंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने शेंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(iv) अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 16.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक (मूलत: आईटी / आईटीईएस) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में बायोटेक (मूलत: आईटी / आईटीईएस) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(v) वेमाली, जिला वडोदरा, गुजरात में 13.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्ट्रेंथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने वेमाली, जिला वडोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स स्ट्रेंथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 42.14 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती से संबंधित अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तब लाने की आवश्यकता होती है जब न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि भविष्य में अधिसूचित क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कटौती वाले अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तब तक लाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि क्षेत्रफल में परिवर्तन से न्यूनतम संस्पर्शी भूमि की आवश्यकता पूरी होती है। उपर्युक्त श्रेणी में न आने वाले सभी मामलों को विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष लाया जाना चाहिए।

(i) गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ, मौजपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स अर्शिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 40.076 हेक्टेयर के औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल में 11.363 हेक्टेयर की वृद्धि करने के लिए मैसर्स अर्शिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे प्रस्तावित एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 51.439 हेक्टेयर हो जाएगा।

(ii) रमन नगर, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 15.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड से 5.08 हेक्टेयर भूमि की कटौती के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी

लाभ वापस कर दिए हैं जो हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 42.15 : कंकसा, पानगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को बहाल करने तथा एसईजेड का सेक्टर बदलकर सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा करने के लिए मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के औपचारिक अनुमोदन को बहाल किया। अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के सेक्टर को "जैव प्रौद्‌यागिकी" से बदलकर "सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा" करने के लिए भी विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 42.16 : औपचारिक अनुमोदन के अंतरण, क्षेत्रफल में वृद्‌धि और ग्राम मोती चिरई, जिला कच्छ, गुजरात में हस्तशिल्प एवं कारीगर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर बदलने के लिए गुजरात सेंटर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीजीसीडीसीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के निम्नलिखित अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की :

(i) गुजरात ग्रोथ सेंटर डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से गुजरात इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन को औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करना
(ii) एसईजेड का क्षेत्रफल 131-59-62 हेक्टेयर से घटाकर 15 हेक्टेयर करना
(iii) एसईजेड के सेक्टर को "हस्तशिल्प एवं कारीगर" से बदलकर "हस्तशिल्प" करना।

मद संख्या 42.17 : नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्‌वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का थर्मल राख से बने ब्रिक एवं ब्लॉक के डीटीए में व्यापार पर निषेध की शर्त हटाने के लिए अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि पहले जब आवेदक के प्रस्ताव पर सह विकासक के लिए विचार किया गया था तब निर्णय लिया गया कि उड़न राख से बनने वाली ईंटों का उपयोग एसईजेड में हो सकता है परंतु डीटीए में उनकी बिक्री नहीं की जा सकती है क्योंकि आवेदक सह विकासक है, न कि यूनिट। अनुमोदन बोर्ड ने विचार किया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्‌वारा निर्धारित विनियिमों के अनुसरण में ईंट तथा उड़न राख के अन्य उत्पादों में परिवर्तित करके पावर प्लांट द्‌वारा उड़न राख का उपयोग किया जाएगा। चूंकि आवेदक को इस आवश्यकता का पालन करना है, इसलिए एसईजेड में उपयोग के बाद ईंटों की बिक्री अपरिहार्य है। इस आवश्यकता के समाधान की विधि तैयार करनी होगी। तद्‌नुसार प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया तथा अनुमोदन बोर्ड अपनी अगली बैठक में

इस प्रस्ताव पर विचार करेगा तथा उस समय तक अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए राजस्व प्राधिकारी संभावित समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

मद संख्या 42.18 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड को कुछ शर्तों के अधीन 60 बिस्तर वाला अस्पताल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। फर्म इस अनुरोध के साथ वापस आई है कि इन शर्तों में ढील प्रदान की जा सकती है क्योंकि यह उनकी व्यावसायिक चिकित्सा नैतिकता में दखल देती है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और प्रचालन से जुड़ी गंभीर कमियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचारण को आस्थगित करने का निर्णय लिया ताकि प्रस्ताव का अधिक बारीकी से अध्ययन किया जा सके और निदेश दिया कि अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्ताव प्रसतुत किया जाए।

मद संख्या 42.19 : एसईजेड के क्षेत्र में आपदा जैसे कि आतंकी हमला एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा रिकवरी साइट के लिए सिरूसेरी एसईजेड, चेन्नई की यूनिट मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डीएलएफ एसईजेड, चेन्नई में मैसर्स टीसीएस ई-सर्व इंटरनेशनल लिमिटेड की यूनिट में डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। यह एसईजेड से सिटकॉम कनेक्शन के माध्यम से किए जा रहे प्रचालन के अधीन होगा, केवल इसके लिए कोई विशिष्ट नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा।

मद संख्या 42.20 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 5 नवंबर 2009 को आयोजित बैठक में विकासक द्वारा कुछ छूट के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया गया तथा इसके बाद रिपोर्ट के लिए संपूर्ण मामले को

राजस्व प्राधिकारियों के पास भेजा गया। राजस्व प्राधिकारियों ने विकासक द्वारा प्रस्तावित छूटों का समर्थन नहीं किया है।

उसके बाद विकासक ने अपने अनुरोध में निम्नानुसार संशोधन किया है :

(i) सन्निकटता स्थापित करने के लिए आरओबी के स्थान पर दो स्काईवाक द्वारा संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता समाप्त की गई है,

(ii) एफटीडब्ल्यूजेड तथा परिधान एसईजेड के दो क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड प्रदान करने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र नंबर 2 को बहु उत्पाद एसईजेड से अलग किया गया है तथा ये सभी क्षेत्र संबंधी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करेंगे

(iii) संशोधित प्रस्ताव में फाटकों की संख्या 7 के स्थान पर 3 की गई है

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि संशोधित प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए उनको पर्याप्त समय नहीं मिला। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने राजस्व विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 42.21 : एक एसईजेड से यूनिटों को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई (श्रीराम गेटवे एसईजेड) में यूनिट के ट्रांसफर के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई में यूनिट के लोकेशन को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) कांडला एसईजेड में यूनिट को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल्स जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कांडला एसईजेड में लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की।

मद संख्या 42.22 : अतिरिक्त प्रवेश / निकास गेट के लिए अनुरोध

(i) नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में अतिरिक्त प्रवेश / निकास बिंदु के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्राम केंडुर्स, नीमगांव, दावड़ी और कान्हेरसार, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में अतिरिक्त प्रवेश / निकास बिंदु के लिए मैसर्स खेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रच्कर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास विचार के लिए भेज दिया और केवल असहमति के मामले में इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाया जाना चाहिए।

मद संख्या 42.23: अनुमोदन बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन

(i) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई।

मद संख्या 42.24 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के लिए डीजल के ड्यूटी फ्री आयात / प्रापण के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड की अपील

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस बात को देखते हुए प्रस्ताव में राजस्व प्रभाव हैं कि ईंधन के रूप में डीजल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। इसके अलावा, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया अनुदेश दिनांक 12 मार्च 2010 एसईजेड नियमावली के नियम 2 के साथ पठित एसईजेड नियमावली के नियम 27 (1) के अंतर्गत संगत प्रावधानों का ध्यान नहीं रखता है जो स्पष्ट करेगा कि विकासक ड्यूटी फ्री डीजल प्राप्त नहीं कर सकता है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ इसे वापस रखने से पूर्व फाइल पर मामले की जांच की जाएगी। तद्नुसार, विकासक की अपील को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स सरवन कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

(iii) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स पूर्वांचल पावर कंपनी लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

(iv) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स जानकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

(v) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स अंचिता कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपील पर ध्यान से विचार किया तथा नोट किया कि यूनिटों ने कोई गतिविधि शुरू नहीं की है। इसके अलावा, डब्ल्यूबीआईडीसी की टिप्पणियां भी प्राप्त की गईं जिन्होंने सिफारिश की है कि यूनिटों के एलओपी की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। निजी सुनवाई के लिए आवेदक अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं थे। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपीलों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनमें कोई औचित्य नहीं था।

(vi) यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच जो एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपील पर विचार किया। अपीलकर्ता उपस्थित नहीं था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(vii) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, की अपील

(viii) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स मेघमणि केमटेक लिमिटेड जो दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने क्रम संख्या (vii) से (viii) में सूचीबद्ध अपीलों को स्वीकार किया तथा यूनिटों के मंजूरी पत्र को बहाल किया।

(ix) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड जो सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया, जिन्होंने 6 माह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि उत्पादन शुरू हो सके। अनुमोदन बोर्ड ने स्थिति का मूल्यांकन किया और विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड की राय प्राप्त करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यूनिट 6 माह की अवधि के अंदर निर्यात शुरू करने में समर्थ नहीं होगी क्योंकि यूनिट ने इसके लिए अभी तक प्रारंभिक तैयारी भी नहीं की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(x) अपीलीय समिति के आदेश का पालन न होने के आधार पर शास्ति की वसूली के लिए प्रस्ताव के विरूद्ध मैसर्स पेट प्लास्टिक्स लिमिटेड, जो केएएसईजेड की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया। नोट किया गया कि अपीलकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया परंतु कुछ कारणों से जो अपीलकर्ता को ही ज्ञात हो सकते हैं, अपीलकर्ता सामग्री का निस्तारण नहीं कर सका और तद्नुसार प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठा नहीं सका। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 42.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. कोडाती गांव, वर्थुर होबली, मैसूर, सरजापुर रोड, बंगलौर, कर्नाटक में 19.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोडाती गांव, वर्थुर होबली, मैसूर, सरजापुर रोड, बंगलौर, कर्नाटक में 19.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. मोगराहल्ली गांव, बेलागोला होबली, श्रीरंगपट्न तालुक, मांड्या जिला, मैसूर, कर्नाटक में 29.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 42.1 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मोगराहल्ली गांव, बेलागोला होबली, श्रीरंगपट्न तालुक, मांड्या जिला, मैसूर, कर्नाटक में 29.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. नवी मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र में 277 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) का अनुरोध (मद संख्या 42.2 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, एसएच-24 जो को दो अलग क्षेत्रों में विभाजित करता है और सन्निकटता स्थापित करने के मुद्दे पर विचार करना होगा। चूंकि सन्निकटता स्थापित करने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने नवी मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र में 277 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) द्वारा पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए सन्निकटता के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने पर उनका पालन करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 41.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स कल्यानी ग्लोबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि सह विकासक करार सह विकासक के स्टेटस को सही से प्रदर्शित नहीं करता है। यह करार किसी कर्मचारी और ठेकेदार के बीच सेवा करार जैसा है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा निदेश दिया कि सह विकासक करार एसईजेड के विनियमों के अनुसार तैयार किया जाए।

(ii) कुशनूर, जिला नांदेड, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल्स के लिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फ्मेलिंगो इंफ्रा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 20.23 हेक्टेयर (50 एकड़) के क्षेत्रफल में सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों का संचालन करके अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में

सह विकासक के लिए मैसर्स फ्मेलिंगो इंफ्रा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 42.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) कलिंग नगर, उड़ीसा में स्टेनलेस स्टील के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स जेएसएल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कलिंग नगर, उड़ीसा में 142.115.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेनलेस स्टील के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स जेएसएल लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 42.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) भद्रावती औद्योगिक क्षेत्र, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने भद्रावती औद्योगिक क्षेत्र, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(ii) उसार औद्योगिक क्षेत्र, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने उसार औद्योगिक क्षेत्र, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(iii) गोडापैसल, अल्बोनी, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में स्टील एवं संबद्ध उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू बंगाल स्टील लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने गोडापैसल, अल्बोनी, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में स्टील एवं संबद्ध उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू बंगाल स्टील लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 42.6 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 3.062 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.41 हेक्टेयर रह जाएगा, के लिए मैसर्स आदर्श प्रधान परियोजनाएँ प्राइवेट लिमिटेडड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 42.7 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **6 (छः)** विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) सेवाह गांव, जीटी रोड, जिला पानीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नंगुनेरी तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का अनुरोध

(iv) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) टूटीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(vi) महादेवपुरा, कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, व्हाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 42.8 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 7 (सात) मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध

(ii) मामिडीपल्ली गांव, सरूरनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) प्लाट नंबर सी**-01,** सेक्टर **67,** नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओसीईई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(iv) अहमदाबाद, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) त्रिक्काकारा गांव, कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

(vi) इछापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2009 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध

(vii) कलपट्टी गांव, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बन्नारी टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 42.9 : मैसर्स सिल्करोड शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एक यूनिट है, का विद्युत के प्रासंगिक उत्पादन पर आयात शुल्क से छूट के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कस्टम टैरिफ रेट को 16 प्रतिशत यथामूल्य से घटाकर लगभग 3 प्रतिशत यथामूल्य किया गया है तथा यूनिट को इस टैरिफ को वहन करने की स्थिति में होना चाहिए।

मद संख्या 42.10 : केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड से कुछ ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

******